बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं०सं०–9/आ०–01–22/2023(स्वा०) .... /पटना, दिनांकः–..

डा० राम कुमार प्रसाद, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, बिहारशरीफ, नालंदा के विरूद्ध श्री दुलारचन्द राम के HIV संक्रमित खून को रक्त अधिकोष में संग्रहित करने एवं HIV से संक्रमित खून को बिना जॉच किये दिनांक–05.11.2021 को सदर अस्पताल, बिहारशरीफ में प्रसव हेतु भर्ती मरीज श्रीमती निभा देवी को चढाने के लिए देने के आरोप में विभागीय संकल्प सं0–647(9) दिनांक–31.07.2024 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच–प्रतिवेदन (अधिगम) के आलोक में निम्नांकित बिन्दुओ से असहमत होते हुए विभागीय पत्रांक–320(9) दिनाक–28.03.2025 द्वारा डा0 प्रसाद से लिखित अभ्यावेदन की मॉग की गयीः–

(i) डा0 राम कुमार प्रसाद का पैथोलॉजी में विशेषज्ञता होने के कारण रक्त अधिकोष का प्रभार दिया गया, परन्तु उनके द्वारा प्रयोगशाला प्रावैद्यिकी के कार्यो का अनुश्रवण नहीं किया गया।

(ii) प्रयोगशाला प्रावैद्यिकी द्वारा विहित प्रपत्र में परिणाम अंकित नहीं करने के बावजूद संक्रमित खून को रक्त अधिकोष मे संग्रहित करने का अनुमति दिया गया।

(iii) संक्रमित खून को बिना जॉच किये श्रीमती निभा कुमारी को प्रसव के दौरान चढाने के लिए दे दिया गया।

3. डा0 प्रसाद द्वारा प्रत्युत्तर समर्पित कर अवगत कराया गया है कि सिविल सर्जन, नालंदा के निदेशानुसार रक्त अधिकोष का प्रभार ग्रहण कर रक्तदान पंजी का प्रति भी अवलोकन किया जाता था। श्री दुलारचन्द राम के खून का HIV की जॉच एलाईजा द्वारा किया गया था। प्रयोगशाला प्रावैद्यिकी द्वारा श्री दुलारचन्द राम के रक्त लेवलिंग बैग में नकारात्मक परिणाम अंकित किया गया था। कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा प्रयोगशाला प्रावैद्यिकी के पद से सेवा मुक्त कर दिया गया है। श्रीमती निभा देवी को रक्त अधिकोष में संग्रहित खून को grouping एवं cross matching करने के उपरान्त मैचिंग किया गया।

4. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा डा0 प्रसाद के विरूद्ध गठित आरोप, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉंच–प्रतिवेदन (अधिगम) एवं लिखित अभ्यावेदन की सम्यक समीक्षा की गयी। सम्यक समीक्षोपरान्त पाया गया कि डा0 प्रसाद द्वारा श्री दुलार चन्द्र राम से लिए गए खून को संग्रहित करने के पूर्व विहित प्रपत्र का अनुश्रवण नहीं किया गया। श्रीमती निभा देवी (प्रसुता) को रक्त आपूर्ति करने के समय HIV का जॉच नही किया गया, जिससे प्रसुता एवं नवजात शिशु भी HIV से संक्रमित हो गये। डा0 प्रसाद का पैथोलॉजी में विशेषज्ञता होने के बावजूद रक्त अधिकोष मे कर्त्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन नहीं किया गया। वरन् रक्त की जॉंच करने के बजाय रक्तदाता के घोषणा प्रपत्र के आधार पर डा0 प्रसाद द्वारा रक्त जॉच का परिणाम ऋणात्मक होने पर हस्ताक्षर किया गया।

5. फलतः डा0 राम कुमार प्रसाद के विरूद्ध रक्त अधिकोष सदर अस्पताल, बिहारशरीफ के पदस्थापन अवधि में कर्तव्यो का सजगता पूर्वक निर्वहन नहीं करने के आरोप में बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43(ख) के अधीन सेवानिवृति की तिथि से 05% (पॉच प्रतिशत) पेंशन की राशि दो वर्षो तक कटौति करने का शास्ति अधिरोपित करने का विनिश्चय किया गया है।

02/03/2026

(15)

6. विभागीय पत्रांक–710(9) दिनांक–26.06.2025 एवं पत्रांक–33(9) दिनांक–13.01.2026 द्वारा विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श की माँग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक–4576 दिनांक– 13.02.2026 द्वारा विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त किया गया है।

7. अतएव डा0 राम कुमार प्रसाद, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, बिहारशरीफ, नालंदा सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध रक्त अधिकोष सदर अस्पताल, बिहारशरीफ के पदस्थापन अवधि में कर्त्तव्यो का सजगता पूर्वक निर्वहन नहीं करने के आरोप मे बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43(ख) के अधीन सेवानिवृति की तिथि से 05% (पॉच प्रतिशत) पेंशन की राशि दो वर्षो तक कटौति करने की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

8. उपर्युक्त प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(उपेन्द्र राम)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:–9/आ०–01–22/2023(स्वा0) 258(9)/ **पटना, दिनांक:–** 02.03.26

प्रतिलिपि:–महालेखाकार, (ले० एवं ह०) बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0 दा0 नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, नालंदा/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:–क्षेत्रीय अपर–निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, पटना प्रमंडल, पटना/सिविल सर्जन, नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:–माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं, बिहार, पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:–डा0 राम कुमार प्रसाद, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, बिहारशरीफ, नालंदा सम्प्रति सेवानिवृत्त पत्राचार का पता–कचहरी रोड गर्ल्स स्कूल के पास बिहारशरीफ, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:–प्रशाखा पदाधिकारी 2(ए), 2(बी) 3, 7, 8, 10, 17 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:–आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

02/03/2026
सरकार के अवर सचिव।